न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 88 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनराम पुत्र पाबुराम 2. हुकमाराम पुत्र पाबुराम 3. तेजाराम पुत्र पाबुराम 4. सुआदेवी पत्नि पाबुराम 5. अचलाराम पुत्र पन्नाराम 6. हंसाराम उर्फ हंजारीराम पुत्र जैसाराम 7. रणछोड़राम उर्फ राणराम पुत्र जैसाराम जातियान सुथार पटाऊखुर्द तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. ओमाराम पुत्र कालूराम 2. खीमाराम पुत्र कालूराम 3. सरोदेवी पत्नि कालूराम जातियान सुथार पटाऊखुर्द तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नये वाद हेतुक पेश करने की अनुमति के जरिये वाद विड्रोल करने बाबत।

उपस्थिति:– 1. श्री जेठाराम सिंघल वकील वादीगण
2. श्री चेलाराम वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 18.02.2021

संक्षिप्त में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा पेश किया गया वाद प्राथमिक स्तर पर ही विचाराधीन है , अर्थात किसी भी पक्षकार की ओर से जवाब दावा भी पेश नही किया गया हैं। वादीगण की ओर से वाद पेश करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि को भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर मुआवजा तय किया गया एवं राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमि अवाप्ति की गई उसके नामान्तरणकरण भी दर्ज कर दिये गये। यदि कि वादीगण के द्वारा वाद पेश करने के पश्चात नये तथ्य प्रकरण में पेश में हुये हैं एवं नये तथ्यो एवं नये पक्षकारो का संयोजन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है एवं वर्तमान वाद प्राथमिक स्तर पर ही होने से वादीगण वर्तमान वाद को जरीये विड्रोल खारीज करवाना चाहते है एवं वादीगण को नये वाद हेतु पेश होने से वादीगण के द्वारा नया वाद पत्र अदालत श्री के समक्ष पेश किया जा चुका हैं।

अतः में निवेदन किया गया कि आवेदन पत्र को स्वीका[illegible]ण के वाद को नये वाद पेश करने की अनुमति के साथ जरीये विड्रोल ख[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:18:50 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की तरफ से पेश आवेदन पत्र का जवाब प्रतिवादी[illegible]की तरफ से प्रस्तुत कर निवे[illegible] किया गया कि प्रार्थना–पत्र का पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र का सही ह[illegible] बताया है लेकिन प्रतिवादीगण [illegible]

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

तरफ से दफा 63 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 सपठित आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दावा की सुनवाई के क्षेत्राधिकार को चुनौति दी गई थी, जिसका जवाब वादीगण की तरफ से पेश किया जाकर उस पर बहस भी सुनी जा चुकी थी, उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व जवाब दावा देना आवश्यक नहीं था। जिसका वादीगण को भली प्रकार से ज्ञान है। पद संख्या 3 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार कर जवाब पेश करने के पश्चात कोई कोई नये तथ्य प्रकरण में पेश नहीं हुए, न ही इस स्थिति में विड्रोल किया जा सकता न ही अदालत भी वादीगण को वर्तमान वाद विड्रोल कर नया दावा पेश करने की अनुमति ही प्रदान कर सकती है। अतः में निवेदन किया गया कि वादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारीज फरमाया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण के द्वारा अपने—अपने प्रार्थना—पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान वादीगण की और से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 5003/2010 एवं एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 2840/2010 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2011 आरआरटी 2011(1) के पेज पृष्ट संख्या 661—663 की प्रति न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण अपने मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार अपने हितों की रक्षार्थ हेतु नया वाद लाने के लिये अनुमति के साथ वाद विड्रोल करने के लिए प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किया जावे। बहस के दौरान प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण की और से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील संख्या 11912/1018 एवं एसएलपी संख्या 15455/2015 में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2018,2019 डीएनजे (एससी) पृष्ट संख्या 07 से 13 एवं अपील संख्या 5364/5365/2018 प्रदीप कुमार राजकुमार बनाम महिन्द्रा वर्ड सिटी में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2019 आरआरडी 2019 के पेज पृष्ट संख्या 620—626 की प्रति, न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये, और निवेदन किया गया कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के विरूद्व प्रतिवादीगण के द्वारा दफा 63 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 सपठित आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दावा की सुनवाई के क्षेत्राधिकार को चुनौति दी गई थी, जिसका जवाब वादीगण की तरफ से पेश किया जाकर उस पर बहस भी सुनी जा चुकी थी, जिसका निर्णय नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त यह पाया गया कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के विरूद्व प्रतिवादीगण के द्वारा दफा 63 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 सपठित आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दावा की सुनवाई के क्षेत्राधिकार को चुनौति दी गई, लेकिन उभय पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़े के अनुसार राजस्व रेकर्ड लट्ठा ट्रेस में वर्ष 2016 के बाद में अवशेष रही तरमीमों को नामान्तकरण की पृश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गयी है । परन्तु बंटवाड़ा करवाने के बाद दिनांक 31.08.1973 को पासबुकों के सलग्न काश्तकारों को मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति अनुसार जारी की गई पास बुकों में वर्णित की गई स्थिति के एक दूसरे के बिल्कुल विपरित होना स्पष्ट प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार की दुरूस्ती [illegible] ये राजस्व न्यायालय सक्षम ही है। मूल बंटवाड़े संबंधी एवं मूल पासबुके राजस्व [illegible] के आधार पर नये वाद में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:18:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण अपना पक्ष प्रस्तुत कर चारासाजोही कर सकते है,तथा इसी न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के संबंध में बाद सुनवाई तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूत पेश कर गुणावगुण के आधार पर वाद का निस्तारण किया जा सकता है । चुंकि वादग्रस्त आराजी को भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर मुआवजा तय किया गया एवं राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमि अवाप्ति की गई उसके नामान्तरणकरण भी दर्ज कर दिये गये। वादीगण अपने मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार अपने हितों की रक्षार्थ हेतु नया वाद लाने के लिये अनुमति के साथ वाद विड्रोल करने के लिए प्रार्थना–पत्र एवं इस न्यायालय में उसी दिन नया वाद प्रस्तुत कर दिया गया है, यदि कि वादीगण के द्वारा वाद पेश करने के पश्चात नये तथ्य प्रकरण में पेश में हुये हैं, वाद प्राथमिक स्तर पर ही विचाराधीन है एवं नये तथ्यों एवं नये पक्षकारो का संयोजन किया जाना न्याय हित में न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर वादीगण के वाद को नये वाद पेश करने की अनुमति के साथ जरीये विड्रोल खारीज किया जाता है।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:18:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 88 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मोहनराम पुत्र पाबुराम 2 हुकमाराम पुत्र पाबुराम 3 तेजाराम पुत्र पाबुराम 4 सुआदेवी पत्नि पाबुराम 5 अचलाराम पुत्र पन्नाराम 6 हसाराम उर्फ हंजारीराम पुत्र जैसाराम 7 रणछोड़राम उर्फ राणराम पुत्र जैसाराम जातियान सुथार पटाऊखुर्द तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1 ओमाराम पुत्र कालूराम 2 खीमाराम पुत्र कालूराम 3 सरोदेवी पत्नि कालूराम जातियान सुथार पटाऊखुर्द तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नये वाद हेतुक पेश करने की अनुमति के जरिये वाद विड्रोल करने बाबत।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री जेठाराम वकील वादी मिनजानिब श्री चेलाराम वकील प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर वादीगण के वाद को नये वाद पेश करने की अनुमति के साथ जरीये विड्रोल खारीज किया जाता है।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.02.2021 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:18:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner